रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 12, 1972/पौष 22, 1893

No. 20] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 12, 1972/PAUSA 22, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January 1972

S.O. 28E.—The following order made by the President is published for general information.

ORDER

Whereas by a Proclamation issued on the 15th June, 1971, under clause (1) of article 356 of the Constitution of India it has been declared that the powers of the Legislature of the State of Punjab shall be exercisable by or under the authority of Parliament;

And whereas Parliament has authorised expenditure from the Consolidated Fund of that State for the services of the financial year 1971-72;

And whereas the amount so authorised is found to be insufficient in cases of certain services and also a need has arisen in certain cases for meeting additional expenditure not contemplated in the Annual Financial Statement of that year;

And whereas the House of the People is not in session and it is necessary to authorise expenditure from the Consolidated Fund of that State pending the sanction of such expenditure by Parliament;

Now, therefore, in pursuance of sub-clause (c) of clause (1) of article 357 of the Constitution, I, V. V. Giri, President of India, hereby authorise that, pending the sanction by Parliament expenditure of sums not exceeding those specified in

column 3 of the Schedule annexed hereto and amounting in the aggregate to the sum of nine crores, twenty-six lakhs and ninety thousand rupees may be incurred from and out of the Consolidated Fund of the State of Punjab towards defraying the several charges during the financial year 1971-72 in respect of the services and purposes specified in column 2 of the said Schedule

THE SCHEDULE

Sl. No	Demand No. and Services and purposes	Sums not exceeding		
		Expenditure Charged on the Consolidated Fund of the State of Punjab	Other Expenditure to be met out of the Consolidated Fund of the State of Punjab	Total
1	2		3	4
1.	12-Police		21,90,000	21,90,000
2.	39-Miscellaneous		7,50,00,000	7,50,00,000
3.	51-Loans and advances by the State Government—Loans to Local Funds—Private Parties etc.	..	1,55,00,000	1,55,00,000
	TOTAL	.	9,26,90,000	9,26,90,000

V. V. GIRI,
President
10-1-1972

[No. F. 3(13)-FCC/71.]
B. MAITHREYAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नयी दिल्ली, 10 जनवरी, 1972

का० आ० 28(अ)—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

आदेश

चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अधीन 15 जून, 1971 को जारी की गयी उद्घोषणा के द्वारा यह घोषित किया गया है कि पंजाब राज्य के विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा या संसद के प्राधिकार के अन्तर्गत किया जा सकेगा,

और चूंकि संसद ने 1971–72 के वित्तीय वर्ष की सेवाओं के लिए उस राज्य की समेकित निधि से व्यय किये जाने को प्राधिकृत किया है,

और चूंकि कुछ सेवाओं के मामलों में इस प्रकार प्राधिकृत व्यय की रकम कम पड़ गयी है और साथ ही कुछ मामलों में ऐसे अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता पैदा हो गयी है जिसकी कल्पना उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में नहीं की गयी थी,

और चूंकि लोक-सभा का सत्र नहीं हो रहा है और जब तक राज्य की समेकित निधि से व्यय किये जाने को संसद द्वारा प्राधिकृत नहीं किया जाता तब तक उसमें से व्यय किये जाने की मंजूरी देना आवश्यक है,

इसलिये, अब संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (ग) के अनुसार, मैं, भारत का राष्ट्रपति, वी० वी० गिरि, एतद्द्वारा इस बात का प्राधिकार प्रदान करता हूं कि इस आदेश के साथ लगाई गई अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में 1971-72 के वित्तीय वर्ष में होने वाले अनेक प्रकार के खर्चों को पूरा करने के लिये, पंजाब राज्य की समेकित निधि से, संसद की मंजूरी मिलने तक, इतनी रकमें खर्च की जाय जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में उल्लिखित रकमों से अधिक न हों और जिनका जोड़ नौ करोड़ छब्बीस लाख नब्बे हजार रुपया है।

अनुसूची

मांग संख्या और सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित रकमों से अधिक नहीं	
क्रम सं०	पंजाब राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय	पंजाब राज्य की समेकित निधि से किया जाने वाला अन्य व्यय	जोड़
1	2	3	4
1.	12—पुलिस	21,90,000	21,90,000
2.	39—विविध	7,50,00,000	7,50,00,000
3.	51—राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम-न्यायीय निधियों तथा प्राइवेट पार्टियों आदि को ऋण	1,55,00,000	1,55,00,0000
	जोड़	9,26,90,000	9,26,90,000

वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति।

10-1-1972

[संख्या एफ० 3(13)—एफ० सी० सी०/71]
बी० मैत्रेयन, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972